

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
विविध अपील संख्या. 307/2015

=====

संगीता कुमारी, पत्नी सुरेंद्र कुमार हिमांशु, पुत्री विनोद यादव, निवासी गाँव-ताहबल बीघा, डाकघर-छोरीयारी, थाना-मकदमपुर, जिला-जहानाबाद, वर्तमान निवास गाँव-आलुआ बीघा, थाना-मकदमपुर, जिला-जहानाबाद

..... अपीलार्थी/ओं

बनाम

1. सुरेंद्र कुमार हिमांशु, पुत्र-राम दहिन यादव, निवासी गाँव-तहबल बीघा, डाकघर-छोरीयारी, थाना-मकदमपुर, जिला-जहानाबाद
2. शैलेंद्र कुमार उर्फ आकाश कुमार, पुत्र- शिवजनम यादव, निवासी गाँव-तेहबल बीघा, थाना-मकदमपुर, जिला-जहानाबाद

..... उत्तरदाता/ओं

=====

साथ में

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 584/2015

थाना- वाद संख्या- वर्ष-1111 थाना- जिला- से उत्पन्न

=====

संगीता कुमारी पत्नी सुरेंद्र कुमार हिमांशु, पुत्री विनोद यादव, वर्तमान में निवासी गाँव-अल्वा बीघा थाना-मकदमपुर, जिला-जहानाबाद

.....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य
2. सुरेंद्र कुमार हिमांशु, पुत्र रामदाहिन यादव, निवासी गाँव-तहबल बीघा, थाना-मकदमपुर, जिला-जहानाबाद, वायु सेना स्टेशन कानपुर, चकेरी, उत्तर प्रदेश में तैनात

..... उत्तरदाता/ओं

=====

साथ में

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 618/2015

थाना- वाद संख्या- वर्ष-1111 थाना- जिला- से उत्पन्न

=====

सुरेंद्र कुमार हिमांशु, पुत्र राम दहिन यादव, निवासी गाँव-तहबल बिगाहा, थाना-
मखदुमपुर, जिला-जहानाबाद

..... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य
2. संगीता कुमारी, पुत्री बिनोद यादव, निवासी गाँव-अलुआ बीघा, थाना-मखदुमपुर, जिला-
जहानाबाद

..... उत्तरदाता/ओं

=====

उपस्थिति :

(विविध अपील संख्या 307/2015 में)

अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री उदय कुमार, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिए : श्री

(आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 584/2015 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री उदय कुमार, अधिवक्ता

मामला प्रत्यर्थी/ओं के लिए : श्री ललन कुमार, अ.लो.अ.

(आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 618/2015 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री डॉ. बिनय कुमार सिंह, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिए : श्री एच. ए. खान, अ.लो.अ.

=====

पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984---धारा 19(1)---हिंदू विवाह अधिनियम---धारा
13(1)(i ए)---व्यभिचार, क्रूरता और परित्याग के आधार पर विवाह विच्छेद के लिए
प्रतिवादी-पति की ओर से दायर वैवाहिक मुकदमे को अनुमति देने वाले निर्णय और
डिक्री के खिलाफ अपील।

निष्कर्ष: प्रतिवादी-पति ने यह साबित करने के लिए कोई कानूनी दस्तावेजी साक्ष्य या कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि अपीलकर्ता-पत्नी का प्रतिवादी संख्या 2 के साथ अवैध संबंध था। प्रतिवादी-पति ने प्रतिवादी संख्या 2 के विरुद्ध अपनी पत्नी (अपीलकर्ता) के विरुद्ध व्यभिचार के लिए कभी कोई शिकायत दर्ज नहीं की और यह भी नहीं बताया कि विवाह के 12 वर्ष बाद वैवाहिक मामला क्यों दर्ज किया गया और वह भी प्रतिवादी-पति और ससुराल के अन्य परिवार के सदस्यों के विरुद्ध अपीलकर्ता-पत्नी द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद। प्रतिवादी-पति ठोस, प्रासंगिक और विश्वसनीय साक्ष्यों के बल पर अपीलकर्ता-पत्नी के उसके और उसके परिवार के सदस्यों के प्रति क्रूर व्यवहार को साबित करने में विफल रहा, जबकि क्रूरता साबित करने का भार इस मामले में प्रतिवादी-पति पर है। पारिवारिक न्यायालय के समक्ष शिकायत में कथित क्रूरता की तिथि के संदर्भ में एक भी कथित घटना का उल्लेख नहीं किया गया है। एक पति या पत्नी द्वारा दूसरे को दी गई कोई मामूली बात या टिप्पणी या मात्र धमकी को क्रूरता के रूप में नहीं माना जा सकता। क्रूरता का ऐसा आदेश, जो कानूनी रूप से तलाक के आदेश के लिए अपेक्षित है---जहां तक परित्याग के आधार का संबंध है, प्रतिवादी-पति के साक्ष्य में आया है कि अपीलार्थी-पत्नी को प्रतिवादी संख्या 2 के साथ उसके वैवाहिक घर में आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया था, जिससे पता चलता है कि अपीलार्थी-पत्नी उसके साथ अपने वैवाहिक घर में रह रही थी, इसलिए परित्याग के आधार पर भी प्रतिवादी तलाक का आदेश प्राप्त करने का हकदार नहीं है---आलोचनापूर्ण निर्णय अपास्त किया जाता है---अपील स्वीकृत की जाती है---अपीलार्थी को भरण-पोषण राशि में वृद्धि के लिए उचित फोरम के समक्ष उचित आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। (पैरा-18, 19, 23, 26-28)

2007 (4) एससीसी 511, एआईआर 1975, 1534

.....पर भरोसा किया

गया।

=====

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

=====

समक्ष: माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. भजंत्री

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. बी. प्र. सिंह

सीएवी निर्णय

(प्रति: माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. बी. प्र. सिंह)

तारीख: 26-03-2025

इन सभी मामलों में मुद्दे समान और परस्पर संबंधित हैं, इसलिए सभी की एक साथ सुनवाई की गई है और इस सामान्य निर्णय द्वारा उनका निपटारा किया जा रहा है। अपीलकर्ता/याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई राहतें इस प्रकार हैं:-

2. विविध अपील संख्या 307/2015 (संगीता कुमारी बनाम सुरेन्द्र कुमार हिमांशु)

"यह अपील विद्वान प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, जहानाबाद द्वारा वैवाहिक वाद संख्या 66/2023 में दिनांक 08.05.2015 को पारित विवाह विच्छेद के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की जा रही है, जिसके तहत विद्वान प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, जहानाबाद ने कानूनी पहलुओं और अपीलकर्ता द्वारा दायर जवाब पर विचार किए बिना वादी (उत्तरवादी) के पक्ष में वैवाहिक वाद संख्या 66/2023 का आदेश पारित किया है।"

3. आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 584/2015 (संगीता कुमारी बनाम सुरेन्द्र कुमार हिमांशु)

"यह पुनरीक्षण मामला याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, जहानाबाद द्वारा भरण-पोषण वाद संख्या 81/2014 में पारित दिनांक 08.05.2015 के आदेश के विरुद्ध दायर किया जा रहा है, जिसके तहत विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, जहानाबाद ने मात्र 5000/- रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण की अनुमति दी है, जबकि याचिकाकर्ता की मांग उसके जीविका के लिए 20,000/- रुपये प्रतिमाह है।"

4. आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 618/2015 (सुरेन्द्र कुमार हिमांशु बनाम बिहार राज्य एवं अन्य)

"यह पुनरीक्षण याचिका, प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, जहानाबाद के विद्वान न्यायालय द्वारा, विपक्षी पक्षकार संख्या 2 द्वारा धारा 125 दं.प्र.सं. के तहत दायर भरण-पोषण वाद संख्या 81/2014 में दिनांक 08.05.2015 को पारित आदेश के विरुद्ध है, जिसके तहत और जिसके तहत विद्वान न्यायालय ने याचिकाकर्ता को आदेश की तिथि से प्रत्येक क्रमिक माह की 15 तारीख को या उससे पहले विपक्षी पक्षकार संख्या 2 को भरण-पोषण के रूप में 5000/- रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है और भुगतान न करने की स्थिति में विपक्षी पक्षकार संख्या 2 कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से इसे प्राप्त करने के लिए न्यायालय के समक्ष मामला कर सकता है।

" विविध अपील संख्या 307/2015

5. पक्षकारों को सुना गया ।

6. वर्तमान अपील पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19 (1) के तहत दायर की गई है, जिसमें वैवाहिक मामला संख्या 66/2013 में परिवार न्यायालय, जहानाबाद के विद्वान प्रधान न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 8.5.2015 निर्णय को चुनौती दी गई है, जिसके तहत उत्तरवादी -पति द्वारा विवाह विच्छेद पर तलाक की डिक्री के लिए वैवाहिक मुकदमे की अनुमति दी गई है।

7. परिवार न्यायालय में दायर याचिका के अनुसार प्रत्यर्थी-पति का मामला यह है कि प्रत्यर्थी-पति की अपीलार्थी-पत्नी के साथ शादी हिंदू विधि और रीति-रिवाजों के अनुसार 11.07.2000 को की गई थी और शादी के बाद, वे लगभग तीन महीने तक पति-पत्नी के रूप में एक साथ रहे। विवाह के बाद, प्रत्यर्थी-पति को पता चला कि अपीलार्थी-पत्नी वह अपने सह-ग्रामीण के साथ निकटता में था जिसे उत्तरवादी संख्या 2 के रूप में पक्षकार बनाया गया है। प्रत्यर्थी संख्या 2 हमेशा प्रत्यर्थी-पति के घर आता था और उसने कभी आपत्ति नहीं की क्योंकि वह इसे एक सामाजिक यात्रा मानता था। एक दिन, जब उत्तरवादी -पति अपने घर लौटे, तो उन्होंने अपीलार्थी-पत्नी और उत्तरवादी संख्या 2 को घर के अंदर पाया, जिसका बाहरी दरवाजा अंदर से बंद था। प्रत्यर्थी-पति ने अपनी पत्नी (अपीलार्थी) को प्रत्यर्थी संख्या 2 के साथ लिए नहीं होने के लिए मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अपीलार्थी-पत्नी ने उनकी सलाह का पालन नहीं किया। प्रत्यर्थी-पति ने प्रत्यर्थी संख्या 2 को भी अपीलार्थी-पत्नी के साथ नहीं लिए रहने की सलाह दी, लेकिन उसने भी उसकी सलाह का पालन नहीं किया। 27.11.2012 को, जब उत्तरवादी -पति बाजार से वापस आया, तो उसने अपना शयनकक्ष अंदर से बंद पाया। अलार्म बजने पर, अपीलार्थी-पत्नी और उत्तरवादी नंबर 2 बहुत आपत्ति जनक हालत में कमरे के बाहर आ गए। प्रत्यर्थी-पति ने अपीलार्थी-पत्नी और प्रत्यर्थी संख्या 2 को व्यभिचार में रहते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद,

अपीलार्थी-पत्नी ने 09.01.2013 को शिकायत मामला संख्या 1055/2012 दायर किया, के तहत 04.02.2013 पर 2013 के महिला थाना मामला संख्या 12 को प्रेषित जिसे प्रत्यर्थी-पति और उसके अन्य ससुराल के परिवार के सदस्यों के खिलाफ यातना और दहेज की मांग के कथित आरोप के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 498 (ए) के तहत दिनांक 4.2.2013 को महिला थाना कांड संख्या 12/2013 के रूप में प्रेषित किया गया था। अपीलार्थी-पत्नी के उपरोक्त अवैध संबंध को जानने के बाद और उत्तरवादी - पति और अन्य ससुराल के परिवार के सदस्यों के खिलाफ झूठा आपराधिक मामला दर्ज करने के बाद, उत्तरवादी -पति के लिए अपीलार्थी-पत्नी के साथ रहना संभव नहीं था। इसलिए, उन्होंने अपीलार्थी-पत्नी के विरुद्ध विवाह विच्छेद के लिए वैवाहिक मामला सं. 66/203 दायर किया।

8. उपरोक्त मामला दायर करने के बाद, अपीलार्थी-पत्नी अदालत द्वारा जारी समन/नोटिस के जवाब में पेश हुई और अपना जवाब/लिखित बयान दायर किया।

9. अपीलार्थी-पत्नी के विद्वान मामला द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलार्थी-पत्नी और उत्तरवादी -पति के बीच विवाह हिंदू अधिकारों और अनुष्ठानों के अनुसार दिनांक 11.7.2000 को संपन्न किया गया था और विवाह के बाद अपीलार्थी-पत्नी अपने ससुराल गई और कुछ समय तक शांति से रही, लेकिन उसके बाद उसके ससुराल के सदस्यों ने दहेज की मांग को पूरा न करने के लिए उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। यह यातना तब और बढ़ गई जब उनके पति (प्रत्यर्थी संख्या 1) को एयर फोर्स में नियुक्ति मिली। अपीलार्थी-पत्नी ने अपने माता-पिता को अपने ससुराल वालों द्वारा यातना के बारे में सूचित किया और उसके माता-पिता ने भी मामले को शांत करने की कोशिश की लेकिन उनके सभी प्रयास विफल रहे। अंततः, अपीलार्थी-पत्नी ने जहानाबाद महिला पुलिस स्टेशन को यातना और दहेज की मांग के बारे में सूचित किया। पुलिस के हस्तक्षेप पर, मामले से समझौता किया गया और अपीलार्थी-पत्नी

अपने ससुराल गई, हालांकि, कुछ समय बाद, उसे उत्तरवादी संख्या 1 सहित उसके ससुराल के परिवार के सदस्यों द्वारा फिर से प्रताड़ित किया गया। इसके बाद अपीलार्थी-पत्नी ने 09.01.2013 को शिकायत मामला संख्या 1055/2012 दायर किया, जिसे भारतीय दंड संहिता की धारा 498 (ए) के तहत 04.02.2013 को महिला थाना मामला संख्या 12/2013 के रूप में दर्ज किया गया था। अपीलार्थी-पत्नी हमेशा अपने पति (उत्तरवादी संख्या 1) के साथ रहने के लिए तैयार रहती है, लेकिन यह उत्तरवादी संख्या 1 है जो अपीलार्थी के साथ नहीं रहना चाहता है। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने इस माननीय न्यायालय के समक्ष एक जमानत याचिका में भी अपीलार्थी-पत्नी को पूरी गरिमा और सम्मान के साथ रखने का बीड़ा उठाया, लेकिन उसने इस माननीय न्यायालय के समक्ष दिए गए वचन का पालन नहीं किया है। अपीलार्थी-पत्नी ने आगे कहा कि उनका चरित्र अच्छा है और प्रत्यर्थी-पति द्वारा व्यभिचार का आरोप केवल अपीलार्थी-पत्नी से तलाक लेने के लिए लगाया गया है।

10. दोनों पक्षों की प्रतिद्वंद्वी दलीलों के आधार पर, इस मामले में विद्वान न्यायालय द्वारा निम्नलिखित मुद्दे तैयार किए गए थे:

1. क्या तैयार किया गया वाद बनाए रखने योग्य है?
2. क्या याचिकाकर्ता के पास यह वाद दर्ज करने के लिए कार्रवाई का कारण है?
3. क्या याचिकाकर्ता को विरोधी पक्ष द्वारा क्रूरता का सामना करना पड़ा था/?
4. क्या अपीलार्थी विवाह विच्छेद की डिक्री का हकदार है?
5. क्या याचिकाकर्ता राहत का हकदार है जैसा कि दावा किया गया है?
6. क्या याचिकाकर्ता किसी अन्य राहत या राहत का हकदार है?

11. विचारण के दौरान, उत्तरवादी -पति की ओर से कुल चार गवाह पेश किए गए हैं जो आ. सा. 1 राम दहिन यादव (उत्तरवादी -पति के पिता), आ. सा. 2 सुरेंद्र कुमार हिमांशु (उत्तरवादी -पति), आ. सा. 3 सोना देवी और आ. सा. 4, सुखेंद्र कुमार (उत्तरवादी -पति के भाई) हैं।

12. अपीलार्थी/विपक्षी की ओर से, चार गवाह विपक्षी सा. 1 सरोज देवी (अपीलार्थी की माँ), विपक्षी सा. 2 विनोद यादव (अपीलार्थी के पिता), विपक्षी सा. 3 शंभू कुमार (अपीलार्थी के चाचा) और विपक्षी सा. 4 संगीता कुमारी (स्वयं अपीलार्थी) को पेश किया गया है।

13. विचारण के समापन के बाद, विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि उत्तरवादी -पति ने साबित कर दिया है कि वह अपीलार्थी-पत्नी के हाथों क्रूरता से पीड़ित था और साथ ही अपीलार्थी-पत्नी द्वारा छोड़ दिया गया था और उत्तरवादी -पति द्वारा दायर किया गया मामला पोषणीय है और उत्तरवादी -पति के पास तत्काल मामला दायर करने के लिए कार्रवाई का वैध कारण भी है। तदनुसार, परिवार न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अपीलकर्ता क्रूरता के साथ-साथ त्याग के आधार पर तलाक की डिक्री का हकदार था और मुकदमे को तदनुसार तय किया गया था और अपीलकर्ता -पत्नी और उत्तरवादी -पति के बीच विवाह को विवाह के विघटन की डिक्री द्वारा भंग कर दिया गया था।

14. इसके बाद, वैवाहिक वाद संख्या 66/2013 में गए विद्वान निचली न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय और डिक्री से व्यथित और असंतुष्ट होने के कारण, वर्तमान अपील अपीलार्थी-पत्नी द्वारा दायर की गई है।

15. अपीलार्थी-पत्नी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया है कि निम्न विद्वान न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री गलत है और विवेकशील मन के

उपयोग के बिना यांत्रिक रूप से पारित किया गया प्रतीत होता है। विद्वान प्रधान न्यायाधीश ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया है कि प्रत्यर्थी-पति के साथ अपीलार्थी-पत्नी का विवाह वर्ष 2000 में संपन्न किया गया था और तब से प्रत्यर्थी संख्या 2 के साथ अपीलार्थी-पत्नी के अवैध संबंध के बारे में कोई शिकायत नहीं है और विवाह के बारह साल समाप्त होने के बाद, प्रत्यर्थी-पति द्वारा अपीलार्थी-पत्नी के खराब चरित्र के बारे में आरोप लगाते हुए एक वैवाहिक मुकदमा दायर किया गया था, हालांकि प्रत्यर्थी-पति के पास अपने वाद को साबित करने के लिए कोई वैध कानूनी सबूत नहीं है। विद्वान प्रधान न्यायाधीश ने इस तथ्य पर भी विचार नहीं किया है प्रत्यर्थी-पति द्वारा दायर विवाह भंग करने के लिए वैवाहिक मुकदमा अपीलार्थी पत्नी द्वारा दायर महिला थाना कांड सं० 12/2013 जो प्रत्यर्थी पति और अन्य ससुराल के परिवार के सदस्यों के खिलाफ है के बाद दायर किया गया था जो यह दर्शाता है कि केवल अपनी त्वचा को बचाने के लिए प्रत्यर्थी पति से यह वैवाहिक वाद दायर किया है। उत्तरवादी -पति द्वारा प्रस्तुत गवाहों का बयान में विरोधाभास है। प्रत्यर्थी-पति ने अपीलार्थी-पत्नी द्वारा की गई क्रूरता को साबित करने के लिए भी कोई कानूनी सबूत पेश नहीं किया है। प्रधान न्यायाधीश ने इस तथ्य की अनदेखी करते हुए वैवाहिक मुकदमे की अनुमति देने में भी एक गंभीर गलती की है कि अपीलार्थी-पत्नी हमेशा उत्तरवादी -पति के साथ रहने के लिए तैयार थी और उत्तरवादी पति द्वारा अपीलार्थी-पत्नी के खिलाफ व्यभिचार, क्रूरता या त्याग के कथित आरोप को साबित करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया है। और न ही कोई कानूनी वैध दस्तावेज प्रस्तुत किया है

16. इसके विपरीत, उत्तरवादी -पति की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि विवादित निर्णय और डिग्री न्यायसंगत और कानून के अनुसार है। विद्वत विचारण न्यायालय ने सही परिप्रेक्ष्य में दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य की

उचित सराहना की है और वैवाहिक मुकदमे को सही ढंग से अनुमति दी है और विवाह के विघटन की डिक्री द्वारा विवाह को सही ढंग से भंग कर दिया है।

17. अपीलार्थी-पत्नी और प्रत्यर्थी-पति की ओर से प्रतिद्वंद्वी दलीलों और दलीलों के साथ-साथ अभिलेख पर लाए गए साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, इस अपील में निर्धारण के लिए मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

(i) क्या अपीलार्थी अपनी याचिका/अपील में मांगी गई राहत का हकदार है।

(ii) क्या प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, पटना का आक्षेपित निर्णय कानून की नजर में न्यायसंगत, उचित और टिकाऊ/मान्य है।

18. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों के अवलोकन और अपीलार्थी-पत्नी और प्रत्यर्थी-पति के विद्वान वकील द्वारा की गई दलीलों पर विचार करने के बाद, हम पाते हैं कि प्रत्यर्थी-पति ने यह साबित करने के लिए कोई कानूनी दस्तावेजी साक्ष्य या कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि अपीलार्थी-पत्नी का शैलेंद्र कुमार (प्रत्यर्थी संख्या 2) के साथ अवैध संबंध था। हालाँकि अभियोजन साक्षी 1 राम दहिन यादव ने अपनी बहू (अपीलार्थी- पत्नी) के शैलेंद्र कुमार (उत्तरवादी संख्या 2) के साथ अवैध संबंधों के बारे में अपनी जाँच- पड़ताल में गवाही दी है, लेकिन पैरा-6 में अपनी जिरह में, इस गवाह ने गवाही दी है कि शैलेंद्र कुमार (उत्तरवादी संख्या 2) उसका भतीजा है और उसने कभी भी अपीलार्थी-पत्नी और शैलेंद्र कुमार (उत्तरवादी संख्या 2) को आपत्तिजनक स्थिति में नहीं देखा है। उन्होंने यह भी बयान दिया है कि उनके पास जब उसे अपनी बहू (अपीलार्थी) के साथ प्रत्यर्थी संख्या 2 के अवैध संबंध के बारे में पता चला तो उसके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं कराया था और न ही उसने इस संबंध में किसी पंचायती को बुलाया है जिससे पता चलता है कि विवाह भंग करने के लिए दायर

वैवाहिक मुकदमे में लाभ प्राप्त करने के लिए, अपीलार्थी-पत्नी के खिलाफ अवैध संबंध का झूठा आरोप लगाया गया है।

19. उत्तरवादी -पति की जांच पी.डब्ल्यू. 2 के रूप में की गई है, जिसने अपने जिरह में मुकदमे के दौरान यह बयान दिया है कि उसके पास उत्तरवादी संख्या 2 के साथ अपीलकर्ता-पत्नी के अवैध संबंध के बारे में कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है और न ही उसने उत्तरवादी संख्या 2 के खिलाफ अपनी पत्नी (अपीलकर्ता) के खिलाफ व्यभिचार के लिए कोई शिकायत दर्ज की है। उसने यह भी नहीं बताया है कि शादी के 12 साल बाद वैवाहिक मामला क्यों दर्ज किया गया और वह भी अपीलकर्ता-पत्नी द्वारा उत्तरवादी -पति और ससुराल के अन्य सदस्यों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के बाद। उत्तरवादी -पति (पी.डब्ल्यू. 2) ने अपनी जिरह के पैरा 16 में यह बयान दिया है कि 27.11.2012 को उसे अपीलकर्ता-पत्नी और उत्तरवादी संख्या 2 के अवैध संबंधों के बारे में तब पता चला जब उसने उन्हें आपत्तिजनक स्थिति में देखा था, लेकिन उसने उत्तरवादी संख्या 2 के खिलाफ व्यभिचार या बलात्कार के लिए कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। इसके अलावा, अपनी जिरह के पैरा 17 में पी.डब्ल्यू. 2 ने यह बयान दिया है कि वर्तमान मुकदमा दायर करने से पहले अपीलकर्ता-पत्नी ने उत्तरवादी संख्या 1 और ससुराल के अन्य सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, जिससे पता चलता है कि अपनी पत्नी (अपीलकर्ता) के साथ अपना हिसाब चुकता करने के लिए उत्तरवादी संख्या 1 ने अपीलकर्ता के खिलाफ विवाह विच्छेद का मुकदमा दायर किया है।

20. अभियोजन साक्षी 3 सोना देवी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 7 में बयान दिया है कि 27.11.2012 पर जब प्रत्यर्थी-पति ने अपीलार्थी-पत्नी और प्रत्यर्थी नंबर 2 को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा तो वह वहाँ थी लेकिन प्रत्यर्थी-पति का कोई अन्य परिवार का सदस्य वहाँ मौजूद नहीं था, हालाँकि, अभियोजन साक्षी 4 सुखेंद्र कुमार, जो

प्रत्यर्थी-पति का भाई है, ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 9 में एक विरोधाभासी बयान दिया है कि वह 27.11.2012 को मौजूद था जब उसके भाई (प्रत्यर्थी-पति) ने अपीलार्थी-पत्नी और प्रत्यर्थी सं0 2 को आपत्ति जनक स्थिति में पकड़ा। उसने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा-8 में आगे कहा है कि पहले भी अपीलार्थी-पत्नी के ससुराल वाले उत्तरवादी संख्या 2 को अपने घर में आने से रोकते थे, जिससे पता चलता है कि उन्हें प्रत्यर्थी संख्या 2 के साथ अपीलार्थी-पत्नी के अवैध कार्य के बारे में पता है, लेकिन उन्होंने अपीलार्थी-पत्नी या उत्तरवादी संख्या 2 के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं की है और अचानक अपीलार्थी-पत्नी द्वारा महिला थाना कांड संख्या 12/2013 दर्ज करने के बाद, प्रत्यर्थी-पति ने विवाह भंग करने के लिए वैवाहिक मुकदमा दायर किया है।

21. अभियोजन साक्षी 4 सुखेंद्र कुमार प्रत्यर्थी-पति का भाई है जिसने अपनी जिरह के पैरा-11 में बयान दिया है कि प्रत्यर्थी-पति द्वारा विवाह विच्छेद के लिए मुकदमा दायर करने से पहले, अपीलार्थी-पत्नी ने प्रत्यर्थी-पति और अन्य ससुराल के परिवार के सदस्यों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है।

22. विद्वान प्रधान न्यायाधीश ने ओ.पी.डब्लू-1 सरोज देवी के बयान पर विचार नहीं किया है, जो अपीलकर्ता-पत्नी की मां हैं, जिन्होंने अपने क्रॉस-एग्जामिनेशन के पैरा 8 में बयान दिया है कि शादी के बाद अपीलकर्ता-पत्नी अपने ससुराल चली गई और लगभग तीन महीने तक वहीं रही। इसके बाद अपीलकर्ता-पत्नी अपने मायके आ गई, लेकिन उसके बाद उसके ससुराल वाले कभी भी अपीलकर्ता-पत्नी से मिलने नहीं आए। उसने अपनी जिरह के पैरा 8 में आगे कहा कि महिला पुलिस थाने में समझौता होने के बाद अपीलकर्ता-पत्नी को 25.09.2012 को उसके वैवाहिक घर लाया गया और 27.11.2012 को अपीलकर्ता-पत्नी के खिलाफ आरोप लगाया गया कि उसे उत्तरवादी संख्या 2 के साथ समझौता करने की स्थिति में बिना किसी ठोस और प्रासंगिक भौतिक साक्ष्य के पकड़ा गया था, जिससे पता चलता है कि उत्तरवादी-पति अपीलकर्ता-

पत्नी के साथ अपने वैवाहिक संबंध को जारी रखने में दिलचस्पी नहीं रखता था और जैसे ही उसने उत्तरवादी -पति पर अपने वैवाहिक दायित्व को निभाने के लिए दबाव डाला, उसने बिना किसी कानूनी दस्तावेजी सबूत के, उत्तरवादी संख्या 2 के साथ अपीलकर्ता-पत्नी के व्यभिचार/अवैध संबंध का दावा करके वैवाहिक दायित्व से बाहर आने के लिए हथकंडे अपनाए।

23. जहां तक तलाक लेने के लिए क्रूरता के आधार का सवाल है, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 में 'क्रूरता' शब्द को विशिष्ट शब्दों और भाषा में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन यह अच्छी तरह से स्थापित स्थिति है कि क्रूरता ऐसी प्रकृति और आचरण है जो दूसरे पति या पत्नी के मन में यह उचित आशंका पैदा करती है कि ओ.पी.-उत्तरवादी के साथ रहना उसके लिए हानिकारक और नुकसानदेह होगा।

24. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समर घोष बनाम जया घोष के प्रमुख मामले में 2007 (4) एससीसी 511 में रिपोर्ट की है कि एक पति या पत्नी का निरंतर अनुचित आचरण और व्यवहार वास्तव में दूसरे पति या पत्नी के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। जिस व्यवहार की शिकायत की गई है और जिसके परिणामस्वरूप खतरा या आशंका बहुत गंभीर, पर्याप्त और वजनदार होनी चाहिए। विवाहित जीवन में होने वाली छोटी-मोटी चिड़चिड़ाहट, झगड़ा, सामान्य टूट-फूट जो दिन-प्रतिदिन होती रहती है, मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक देने के लिए पर्याप्त नहीं होगी।

25. इस संदर्भ में, हम नारायण गणेश दास्ताने बनाम सुचेता नारायण दास्ताने के मामले में एआईआर 1975, 1534 में दिए गए निर्णय के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई स्वर्णिम टिप्पणियों को उद्धृत करना चाहते हैं, जो इस प्रकार हैं:-

"एक अन्य मामला जिसे स्पष्ट करने की आवश्यकता है, वह यह है कि हालांकि धारा 10(1) (बी) के तहत, याचिकाकर्ता की यह आशंका कि दूसरे पक्ष के साथ रहना हानिकारक या नुकसानदेह होगा, उचित होनी चाहिए, लेकिन ऐसी आशंका के संदर्भ को छोड़कर, वैवाहिक संबंधों के निर्णय में लापरवाही के कानून के तहत एक उचित व्यक्ति की अवधारणा को आयात करना गलत है। पति-पत्नी से निस्संदेह यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने संयुक्त उद्यम को यथासंभव सर्वोत्तम तरीके से संचालित करें, लेकिन क्रूरता के आरोप की जांच करने वाले न्यायालय का यह कार्य नहीं है कि वह विवाहित संबंधों के तौर-तरीकों पर विचार-विमर्श करें। जीवन। कोई व्यक्ति दिन के काम को पूरा करने के लिए देर तक जागना चाहता है और कोई व्यक्ति सुबह जल्दी उठकर गोल्फ खेलना चाहता है। न्यायालय इन आदतों या शौक के आधार पर यह परीक्षण नहीं कर सकता कि क्या एक समझदार व्यक्ति भी इसी तरह व्यवहार करेगा। "यह प्रश्न कि क्या शिकायत की गई दुर्व्यवहार क्रूरता और तलाक के उद्देश्यों के लिए समान है, मुख्य रूप से उस व्यक्ति पर इसके प्रभाव से निर्धारित होता है जो शिकायत कर रहा है। प्रश्न यह नहीं है कि क्या आचरण एक समझदार व्यक्ति या औसत या सामान्य संवेदनशीलता वाले व्यक्ति के लिए क्रूर होगा, बल्कि यह है कि क्या इसका पीड़ित पति या पत्नी पर ऐसा प्रभाव पड़ेगा। जो एक व्यक्ति के लिए क्रूर हो सकता है, उसे दूसरे व्यक्ति द्वारा हंसी में उड़ाया जा सकता है, और जो एक व्यक्ति के लिए एक परिस्थिति में क्रूर नहीं हो सकता है, वह दूसरी परिस्थिति में अत्यधिक क्रूरता हो सकती है"। न्यायालय को आदर्श पति और आदर्श पत्नी (यह मानते हुए कि ऐसा कोई भी मौजूद है) से नहीं बल्कि उसके सामने मौजूद विशेष पुरुष और महिला से निपटना है।

आदर्श दम्पति या लगभग आदर्श दम्पति को वैवाहिक न्यायालय में जाने की शायद कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि भले ही वे अपने मतभेदों को स्पष्ट न कर पाएं, लेकिन उनका आदर्श दृष्टिकोण उन्हें आपसी गलतियों और असफलताओं को नजरअंदाज करने या उन पर पर्दा डालने में मदद कर सकता है।"

26. अपीलकर्ता-पत्नी की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त संपूर्ण दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्यों को देखने के बाद, यह स्पष्ट है कि विद्वान प्रधान न्यायाधीश ने विवाह विच्छेद के लिए उत्तरवादी-पति की ओर से दायर वैवाहिक वाद को स्वीकार करने में त्रुटि की है, क्योंकि उत्तरवादी-पति अपने और अपने परिवार के सदस्यों के प्रति अपीलकर्ता-पत्नी के क्रूर व्यवहार को ठोस, सुसंगत और विश्वसनीय साक्ष्यों के आधार पर साबित करने में विफल रहा है, जबकि क्रूरता को साबित करने का भार इस मामले में उत्तरवादी -पति पर है, क्योंकि उसने विवाह विच्छेद के लिए उत्तरवादी -पति की ओर से प्रस्तुत उत्तरवादी -पति पर है, क्योंकि उसने विवाह विच्छेद के लिए उत्तरवादी -पति की ओर से प्रस्तुत वैवाहिक वाद अपीलकर्ता-पत्नी द्वारा उसके प्रति किए गए क्रूर व्यवहार के आधार पर तलाक का मामला दर्ज नहीं किया गया है। पारिवारिक न्यायालय के समक्ष दायर शिकायत में कथित क्रूरता की तिथि के संदर्भ में एक भी कथित घटना का उल्लेख नहीं किया गया है। इसके अलावा, उत्तरवादी संख्या 2 के साथ अपीलकर्ता-पत्नी के कथित अवैध संबंध/व्यभिचार का कोई कानूनी महत्व नहीं है क्योंकि उक्त आरोप की पुष्टि किसी भी ठोस, मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य से नहीं की गई है। पति-पत्नी के दैनिक वैवाहिक जीवन में कभी-कभी कुछ तुच्छ कार्य या चूक या कुछ धमकी भरे और कठोर शब्दों का प्रयोग दूसरे पति या पत्नी को प्रतिशोध देने के लिए हो सकता है, लेकिन यह तलाक लेने का उचित/टिकाऊ आधार नहीं हो सकता है। कुछ तुच्छ कथन या टिप्पणी या एक पति या पत्नी द्वारा दूसरे को मात्र धमकी देना क्रूरता का ऐसा आदेश नहीं माना

जा सकता है, जो कानूनी रूप से तलाक के आदेश के लिए आवश्यक है। स्वभाव और व्यवहार की कठोरता, व्यवहार में चिड़चिड़ापन और भाषा की कठोरता अलग-अलग पारिवारिक पृष्ठभूमि में जन्मे और पले-बढ़े व्यक्ति, अलग-अलग जीवन स्तर, अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता और जिस समाज में वे रहते हैं उसमें उनकी स्थिति के आधार पर भिन्न हो सकती है।

27. जहां तक परित्याग के आधार का संबंध है, उत्तरवादी -पति (आ.सा.-2) के साक्ष्य में यह आया है कि अपीलकर्ता-पत्नी को उत्तरवादी संख्या 2 के साथ उसके वैवाहिक घर में आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया था, जिससे पता चलता है कि अपीलकर्ता-पत्नी उसके साथ अपने वैवाहिक घर में रह रही थी। इसलिए परित्याग के आधार पर भी अपीलकर्ता तलाक की डिक्री प्राप्त करने का हकदार नहीं है।

28. इस प्रकार, इस मामले के उपरोक्त सभी पहलुओं और दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार करते हुए, हम पाते हैं कि विद्वान प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, जहानाबाद ने उत्तरवादी -पति के पक्ष में तलाक याचिका को स्वीकार करते समय अपीलकर्ता-पत्नी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य को सही परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा है। हम पाते हैं कि उत्तरवादी -पति क्रूरता के आरोप को साबित करने में विफल रहा है, और हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1) (i) के तहत तलाक की डिक्री देने के लिए कानूनी रूप से आवश्यक अपीलकर्ता-पत्नी के क्रूर व्यवहार के आदेश को साबित करने में भी विफल रहा है और साथ ही उत्तरवादी -पति यह साबित करने में भी विफल रहा है कि अपीलकर्ता-पत्नी ने उत्तरवादी -पति को छोड़ दिया है। उत्तरवादी -पति ने उत्तरवादी संख्या 2 के साथ अपीलकर्ता-पत्नी के व्यभिचारी जीवन या अवैध शारीरिक संबंध के बारे में कोई सबूत भी रिकॉर्ड पर लाने में विफल रहा है।

29. इसलिए, हम वर्तमान अपील में योग्यता पाते हैं जो कि आरोपित निर्णय में हस्तक्षेप करने का औचित्य साबित करता है।

30. तदनुसार, विद्वान प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, जहानाबाद द्वारा वैवाहिक वाद संख्या 66/2013 में पारित दिनांक 08.05.2015 के आदेश को खारिज किया जाता है, जिसमें अपीलकर्ता-पत्नी और उत्तरवादी -पति के बीच विवाह विच्छेद की डिक्री को मंजूरी दी गई थी।

31. वर्तमान अपील को स्वीकार किया जाता है।

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 584/2015 (संगीता कुमारी बनाम सुरेन्द्र कुमार हिमांशु)

32. वर्तमान पुनरीक्षण आवेदन याचिकाकर्ता संगीता कुमारी द्वारा विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, जहानाबाद द्वारा भरण-पोषण वाद संख्या 81/2014 में पारित दिनांक 08.05.2015 के आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है, जिसके तहत विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, जहानाबाद ने याचिकाकर्ता को भरण-पोषण के रूप में 5000/- रुपये प्रतिमाह देने की अनुमति दी है।

33. याचिकाकर्ता भरण-पोषण राशि में वृद्धि के लिए उचित फोरम के समक्ष उचित आवेदन दायर करने के लिए स्वतंत्र है, जिसे प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, जहानाबाद द्वारा अनुमति दी गई थी।

34. तदनुसार, वर्तमान पुनरीक्षण याचिका का निपटारा किया जाता है।

पुनरीक्षण संख्या 618/2015 (सुरेन्द्र कुमार हिमांशु बनाम बिहार राज्य एवं अन्य)

35. चूंकि वैवाहिक वाद संख्या 66 में विद्वान प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, जहानाबाद द्वारा अपीलार्थी-पत्नी एवं उत्तरवादी -पति के बीच विवाह को

निरस्त करने के निर्णय को निरस्त कर दिया गया है, अतः वर्तमान पुनरीक्षण याचिका का कोई आधार नहीं है।

36. तदनुसार, आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 618/2015 खारिज की जाती है।

(एस. बी. प्र. सिंह, न्यायमूर्ति)

(पी. बी. भजंत्री, न्यायमूर्ति)

शागीर/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।